ई–मेल / अनुस्मारक

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (जनपदों–अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, चित्रकूट, अयोध्या, जालौन, चन्दौली, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, रायबरेली, वाराणसी, बहराइच, कन्नौज, फतेहपुर, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर व आजमगढ को छोड़कर)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9445 लखनऊ। दिनांक 17-02-2022

विषयः– फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ.सी.टी.सी.'' के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 8958, दिनांक 23.7.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8863, दिनांक 25.3.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 7977, दिनांक 15.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद–5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–583 / पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जा चुका है।

आपको अवगत कराना है कि राज्य स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर जनपदों–अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, चित्रकूट, अयोध्या, जालौन, चन्दौली, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, रायबरेली, वाराणसी, बहराइच, कन्नौज, फतेहपुर, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर व आजमगढ़ द्वारा ही ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0'' का गठन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 के क्रम में जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0'' का गठन करवाते हुए उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक :– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)

ई–मेल / अनुस्मारक

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (जनपदों–अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, चित्रकूट, अयोध्या, जालौन, चन्दौली, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, रायबरेली, वाराणसी, बहराइच, कन्नौज, फतेहपुर, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर व आजमगढ को छोड़कर)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / लखनऊ। दिनांक- 17-02-2022

विषयः– फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ.सी.टी.सी.'' के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 8958, दिनांक 23.7.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8863, दिनांक 25.3.2021, पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 7977, दिनांक 15.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद–5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–583 / पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जा चुका है।

आपको अवगत कराना है कि राज्य स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर जनपदों–अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, चित्रकूट, अयोध्या, जालौन, चन्दौली, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, रायबरेली, वाराणसी, बहराइच, कन्नौज, फतेहपुर, अमेठी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर व आजमगढ़ द्वारा ही ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0'' का गठन किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 के क्रम में जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ''प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0'' का गठन करवाते हुए उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

/

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक :– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9446-50 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0।

17/02/2022

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)